

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

संख्या-21/एस.एस.सी.(वेतन पुनरीक्षण)-09/2017,सा.प्र.3216 बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 की धारा-12 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार कर्मचारी चयन आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवा-शर्तें) विनियमावली, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित)" में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त विनियमावली-2011 के विनियम-3(i) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा:

"परन्तु, राज्य कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण होने की स्थिति में, आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण, सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन के आधार पर, राज्य कर्मियों के अनुसार किया जा सकेगा। पुनरीक्षित वेतन में से पुनरीक्षित पेंशन (कम्यूटेशन सहित) की राशि घटा दी जायेगी।"

2. यह अधिसूचना तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

संख्या-21/एस.एस.सी.(वेतन पुनरीक्षण)-09/2017,सा.प्र.3216/पटना-15, दिनांक-8.3.19  
प्रतिलिपि-वित्त विभाग, ई.-गजट शाखा को सी.डी. सहित राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु.- सी.डी.।

सरकार के अवर सचिव।

संख्या-21/एस.एस.सी.(वेतन पुनरीक्षण)-09/2017,सा.प्र.3216/पटना-15, दिनांक-8.3.19


प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी प्रशाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या-21/एस.एस.सी.(वेतन पुनरीक्षण)-09/2017,सा.प्र. 3217 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 3216 दिनांक 8-3-19 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(शिवमहादेव प्रसाद)  
सरकार के अवर सचिव।

NOTIFICATION

Patna, Dated 8-3-19

No.-21/S.S.C.(Pay Revision)-09/2017, GAD 3216 In exercise of the powers conferred by the Sub-Section (1) of Section-12 of the Bihar Staff Selection Commission Act, 2002, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the Bihar Staff Selection Commission (Service Conditions of Chairman and Member) Regulations-2011 (As amended time to time);


AMENDMENT

In the said Regulations-2011, the following proviso shall be added to sub rule 3(i) :-

Provided that, in case of the pay revision of State Government Employees, pay revision of the retired officers appointed on the posts of Chairman/Member of the Commission may be made in accordance with the State Government Employees the amount of Revised pension (with commutation) shall be deducted from the revised pay"

2. This notification will come into force with immediate effect.

By the order of the Governor,

  
(Shivmahadev Prasad)

Under Secretary to Government

No.-21/S.S.C.(Pay Revision)-09/2017, GAD 3217 Dated 8-3-19


Copy forwarded to Finance Department, E-Gazette Section (with CD) with the request for the publication of this in extra-ordinary issue of Bihar Gazette.

Enclosed: C.D.

  
Under Secretary to Government

No.-21/S.S.C.(Pay Revision)-09/2017, GAD 3217 Dated 8-3-19

Copy forwarded to AG, Bihar, Patna/Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Patna/ Secretary, Bihar Technical Service Commission, Patna/ Secretary, Bihar Public Service Commission, Patna/All Sections, General Administration Department, Bihar, Patna/IT Manager, General Administration Department, Bihar, Patna for uploading the notification on official website.

  
Under Secretary to Government

21/2/20  
21/2/20